न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2660 दिनांक 13/12/2022

प्रार्थीगण :-

1.जगमालराम 2.देवाराम पि.लिछमणाराम 3. मटकों पत्नि जगमालराम, जाति दर्जी निवासी खारिया डेर (बीजराड़) तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.करनाराम पुत्र अखाराम 2.लिच्छा पुत्र दुर्गा 3.गेना पुत्र चोरू 4.बांका पुत्र तिलोका 5.रूखमणा पुत्र सिरामा 6.कुम्भा पुत्र गेना 7.अचला पुत्र चोरू, जाति जाट, 8.हीरा पुत्र अचला 9.अखा पुत्र जगरूपा 10.प्रतापा पुत्र अमरा, जाति दर्जी , निवासी खारियाडेर, तहसील चौहटन 11.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 128/2022 दिनांक : **13.12.2022**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड़ के मौजा खारिया डेर के खेत खसरा सं. 422 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा सं. 578/168 रकबा 00.1619 हैक्टेयर, खसरा सं. 583/419 रकबा 02.1044 हैक्टेयर, खसरा सं. 589/427 रकबा 00.8498 हैक्टेयर,भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2661 to 64 दिनांक 13/12/2022

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जगमालराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण करनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बिजराड़/धनाऊ/धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.10 16:29:14 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन